(क) क्या देश में वर्ष 1983 में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह संसाधन जल संसाधनों के संबंध में निर्णय करने के लिए शीर्षस्थ निकाय है;

(घ) यदि नहीं, तो इस संस्थान के क्या-क्या कार्य हैं;

(ङ) क्या गत दशक में इस निकाय की बहुत ही कम बैठक हो सकी है; और

(च) यदि हां, तो इस संस्थान की अब तक कितनी बैठकें हुई हैं और इनमें क्या-क्या निर्णय लिए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगया नायडू): (क) और (ख) जी हां। सरकार द्वारा मार्च, 1983 में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किया गया था जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं, केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री इसके उपाध्यक्ष हैं तथा संबंधित केन्द्रीय मंत्री, राज्य सरकारों के मुख्य मंत्री और संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासक/उप राज्यपाल इसके सदस्य हैं। जल संसाधन मंत्रालय के सचिव इस परिषद के सचिव हैं। परिषद के कार्य इस प्रकार हैं:

I) राष्ट्रीय जल नीति निर्धारित करना तथा समय-समय पर इसकी पुनरीक्षा करना।

II) राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नदी घाटी आयोगों आदि द्वारा उसे प्रस्तुत की गई जल विकास योजनाओं (वैकल्पिक योजनाओं सहित) पर विचार करना तथा उनकी पुनरीक्षा करना।

III) ऐसे संशोधनों, जो उपयुक्त और आवश्यक समझे जाएं, के साथ जल योजनाओं की स्वीकृति की सिफारिश करना।

IV) योजनाओं अथवा उसके घटकों पर पूर्ण विचार करने के लिए ऐसे और अध्ययन, जो आवश्यक हो, करने के निदेश देना।

V) जल योजनाओं के विशिष्ट तत्वों के संबंध में अंतर्राज्यीय मतभेदों और ऐसे अन्य मुद्दे, जो परियोजनाओं की आयोजना अथवा कार्यान्वयन के दौरान उत्पन्न हो सकते हैं, को हल करने के तौर-तरीकों पर सलाह देना।

VI) इष्टतम विकास और लोगों के अधिकतम लाभों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विभिन्न लाभग्राहियों द्वारा जल संसाधनों के उचित वितरण एवं उपयोग की पद्धतियां व प्रक्रियाएं, प्रशासनिक प्रबंध व विनियमनों पर सलाह देना।

VII) ऐसी अन्य सिफारिशें करना जो विभिन्न क्षेत्रों में जल संसाधनों के तीव्र, पर्यावरणीय दृष्टि से सही व किफायती विकास को बढ़ाएगी।

(ग) जी हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) परिषद की अब तक दो बैठकें हुई हैं। पहली बैठक 30.10.85 को हुई थी जिसमें राष्ट्रीय जल नीति के विषय से संबंधित एक निबंध पर विचार किया गया था और राष्ट्रीय जल नीति के मसौदे को अंतिम रूप देने के लिए "केन्द्रीय मंत्रियों और राज्य के मुख्य मंत्रियों के एक दल" का गठन किया गया था जिसके अध्यक्ष केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री हैं। मंत्रियों के दल द्वारा राष्ट्रीय जल नीति के मसौदे को अंतिम रूप दिए जाने के बाद, परिषद ने अपनी दूसरी बैठक 9.9.1987 को की और राष्ट्रीय जल नीति को सर्वसम्मति से पारित किया।

Survey on Iron-Ore deposit in Uttar Pradesh and Bihar

2570. SHRI DIGVIJAY SINGH:
SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA:

Will the Minister of MINES be pleased to state:

(a) whether the Geological Survey of India (GSI) has conducted any survey to assess the availability of iron-ore deposits in Uttar Pradesh and Bihar during the last two years;

(b) if so, the findings thereof; and

(c) the steps being taken to extract iron-ore from the selected sites, site-wise?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF MINES (SHRI BALRAM SINGH YADAV): (a) No, Sir.

(b) and (c) Does not arise.

Expansion of area under rice cultivation in Andhra Pradesh

2571. SHRI YERRA NARAYAN SWAMY: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government have any plans to expand the area under rice cultivation in Andhra Pradesh;